

# FORM NO. 123 पंजिका संख्या 123

(Order 24 Rule 7, Order 32 Rule 3) (आदेश 24 नियम 7, आदेश 32 नियम 3)

**उपखण्ड अधिकारी SHEET आदेश पत्र**  
बावडी जिला-जोधपुर

CNR NUMBER  
सी.एन.आर संख्या

Court of के न्यायालय में म्याचालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लखड़ी  
Kind of Case प्रकार का प्रकार III, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम  
Number of Case प्रकार की संख्या 84/2022 Year वर्ष 2022  
देलाराम Versus बनाम सरकार

Date दिनांक	Order with Initials of Presiding Officer पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर से आदेश	Brief Note of Compliance of the order आदेश की पालना का संक्षेप रिषय
----------------	--	--

9/11/2022

पार्थी ने जरिये अधिवक्ता एक पार्थना - पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया। जो दर्ज रजिस्टर किया गया। पार्थी अधिवक्ता ने राजस्व पार्थना पत्र 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम बहस हेतु निवेदन किया। पार्थी अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गयी। पार्थी अधिवक्ता ने बहस में कथन किया। कि पार्थी रिकॉर्ड खातदार काश्तकार है पार्थी की खातदारी व कब्जा काश्त की भूमि ग्राम गंगाणी खसरा नम्बर 1509 रकबा 0.5259 हेक्टेयर भूमि के कर्ण-माठ के सीमा चिन्ह अस्पष्ट है सीमा चिन्ह अस्पष्ट होने से पार्थी को पक्षरगही व तारबन्दी नहीं करने दी जा रही है तथा विवाद की स्थिति हमेशा बनी रहती है अतः पार्थी का पार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पार्थी की खातदारी कृषि भूमि के खसरा संख्या 1509 रकबा 0.5259 हेक्टेयर भूमि मोजा ग्राम गंगाणी का सीमांकन करते हुए पक्षरगही करने के आदेश प्रभावों पार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। एवं पनावली का ध्यानपूर्वक भवेलोकन किया



[Signature]  
उपखण्ड अधिकारी  
बावडी जिला-जोधपुर

# ORDER SHEET (Subservient) आदेश पत्र (पश्चातवर्ती)

CNR NUMBER  
सी.एन.आर संख्या

Year वर्ष

Number of Case प्रकरण की संख्या

Versus बनाम

Brief Note of Compliance of the order  
आदेश की पालना का संक्षेप टिप्पण

Date दिनांक

Order with Initials of Presiding Officer  
पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर से आदेश

3

1

2

गया। कि पार्ची अपनी कृषि भूमि ग्राम-गंगावी के खसरा संख्या 1509 रकबा 0.5259 ईकठार भूमि का सीमांकन करते हुए पथरगही करवाने-चाहते हैं प्रकरण के अवलोकन से यह बात निःसंदेह जाहिर होती है कि पार्ची स्वयं की भूमि की पथरगही खाद सीमांकन करवाने के अधिकारी हैं इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर पार्ची का पार्चना-पत्र स्वीकार योग्य है।

## आदेश

पार्ची का पार्चना-पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है तहसीलदार वाक्डी का आदेश दिया जाता है कि ग्राम गंगावी के विवादित खसरा संख्या 1509 रकबा 0.5259 ईकठार भूमि का सीमांकन करते हुए पथरगही की जावे। वक्तू पथरगही करते समय आवश्यकता पड़ने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद तहसीलदार वाक्डी प्राप्त करें। तहसीलदार वाक्डी का पालनाथ तहरीर जारी है। आदेश आज दिनांक 19.07.2022 का मुल न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नंबर 107/2022



उपर्युक्त अधिकारी  
वाक्डी जिला-जोधपुर

# ORDER SHEET (Subservient) आदेश पत्र (पश्चात्कर्ती)

CNR NUMBER  
सी.एन.आर संख्या

Number of Case प्रकरण की संख्या

Year वर्ष

Versus बनाम

Order with Initials of Presiding Officer  
पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर से आदेश

Brief Note of  
Compliance of  
the order  
आदेश की पालना  
का संक्षेप टिप्पण

2

3

होकर नम्बर सी.कम.दाखिल दफ्तर है।

उपखण्ड अधिकारी  
बावड़ी जिला-जोधपुर

